राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– सुनील कुमार चौहान आर.ए.एस.

राजस्व वाद स. :– 474/2021 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2021/451

सुमन पत्नी जिले सिंह जाति जाट निवासी मांकडों तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं।

.... आवेदकगण

– बनाम -

1. पुरूषोत्तम पुत्र रामकुमार जाति ब्राहमण निवासी माकडों तहसील बुहाना।
2. मालीराम पुत्र रामकुमार जाति ब्राहमण निवासी माकडों तहसील बुहाना।
3. पूर्णमल पुत्र रामकुमार जाति ब्राहमण निवासी माकडों तहसील बुहाना।
4. किरोडीमल पुत्र सुखदेवाराम जाति ब्राहमण निवासी माकडों तहसील बुहाना।
5. पूर्णमल पुत्र सुखदेवाराम जाति ब्राहमण निवासी माकडों तहसील बुहाना।
6. मुन्नीलाल पुत्र सुखदेवाराम जाति ब्राहमण निवासी माकडों तहसील बुहाना।
7. गोपीचंद पुत्र सुखदेवाराम जाति ब्राहमण निवासी माकडों तहसील बुहाना।
8. श्यामसुन्दर पुत्र सुखदेवाराम जाति ब्राहमण निवासी माकडों तहसील बुहाना।
9. गीता देवी पत्नी पुत्र सुखदेवाराम जाति ब्राहमण निवासी माकडों तहसील बुहाना।
10. लैण्ड होल्डर तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

.... अनावेदकगण

आवेदन पत्र – अन्तर्गत धारा 251(क) राज. कास्तकारी अधिनियम

–:: निर्णय ::–

दिनांक – 10/10/22

आवेदकगण की ओर से प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार सेवामे पेश हैं।

1. यह है कि ग्राम माकडों तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल खाता संख्या 132 के खसरा नम्बर 346 रकबा 0.8300 है. भूमि जमाबंदी 2075–78 में आवेदिका एकांकी खातेदार कास्तकार दर्ज रिकार्ड है। जिसमें वह फसल कास्त करती है तथा जिसे काटती–लाटती है।
2. यह कि आवेदिका की उपरोक्त वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 346 के दक्षिणी ओर से स्थित भूमि खसरा नम्बर 348, 349 है जो कि अनावेदकगण 1 लगायत 9 है।
3. यह है कि जैसा कि आवेदक पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में सुर्खियों के मध्य दर्शाया जा चुका है कि वाद वर्णित भूमि खसरा नम्बर 346 के दक्षिणी ओर स्थित भूमि क्रमशः 249, 348 के मध्य एक लगभग 8 फुट चौडा रास्ता स्थित है। जिससे आवेदिका सदैव से अपनी खातेदारी की उक्त भूमि में फसल कास्त करने के लिए ट्रेक्टर आदि को भी इसी रास्ते से लाते ले जाते है। है। अपनी खातेदारी की उक्त [illegible] उपयोग –उपभोग करती है।
भूमि की उपज को काटने लाटने [illegible] 724/678 में से सिंधाना से
4. आवेदिका के खेत खसरा नम्बर 346 से खस[illegible] जाने के लिए कोई प्रचलित तातीजा को जाने वाली पुख्ता सड़क से [illegible] मध्य स्थित मेंड से आवेदिका रास्ता नही है। उक्तानुसार खसरा नम्बर 348, 34[illegible] की लाटने काटने के लिए [illegible] को अपनी उपरोक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 346 [illegible] भरकर जा सकते है। व ऊटगाडी आदि कृषि उपज भरकर या चारा भूसा [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:24:31 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना
जिला ...

आवेदन पत्र पत्र संख्या 474/2021
सुमन बनाम पुरूषोत्तम आदि
निर्णय दिनांक :– 10/10/22

अतः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि :–

क. वाके ग्राम मांकडों तहसील बुहाना स्थित भूमि खसरा नम्बर 346 के लिए ग्राम माकडों से सिंधाना को जाने वाली आम सडक से दक्षिण में स्थित भूमि खसरा नम्बर 348 व 349 के मध्य से 9 मीटर चौडा व 61 मीटर लम्बाई में सीमा के दोनो ओर रास्ता कायम कर राजस्व रिकार्ड में गै.मु. रास्ता दर्ज कर सीमाकंन एवं मापन कर मौके पर भी कायम किये जाने का आदेश दिये जाने की कृपा करे। आवेदकगण रास्ता के रूप के रूप में दर्ज होने वाले रास्ते के रकबें की निसमानुसार डीएलसी दर की दुगनी राशि का भुगतान करने को तैयार व तत्पर है। राजस्व रिकार्ड मुें अमल दरामद कराकर उक्त रास्ते को चालू करवाने की कृपा करे।

ख. कि अनरवेदकगण संख्या 1 से 9 को पाबन्द किये जावे की वह उक्त वाद वर्णित भूमि खसरा नम्बर 348, 349 के मध्य स्थित सीमा के सहारे–सहारे दोनो ओर कोई तारबंदी नही करे, ऐसा ना ही स्वयं करे, तथा ना ही अपने परिवारजनों, मित्रों, रिस्तेदारों एजेन्ट्स से करावे।

पत्रावली को दर्ज रजिस्ट्रर कर तलबी अनावेदकगण की जारी की गई। सभी अनावेदकगण सम्यक रूप से हुई। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से श्री मुकेश चौधरी एडवोंकेट द्वारा वकालतनामा मय जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 9 की ओर से श्री महेश सांखला एडवोकेंट द्वारा वकलातनामा पेश किया गया, इकबालिये जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 का जबाव जबाव प्रस्तुत कर निवेदन है कि आवेदकगण का आवेदन पत्र अस्वीकार कर खारीज फरमाया जावे।

प्रार्थी की ओर से साक्ष्य में दस्तावेज नकल जमाबंदी सम्वत् 2075–78, नक्शा ट्रेस पेश किया गया।

आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन कर तहसीलदार बुहाना से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार बुहाना की मौका रिपोर्ट रही कि– मौके पर वाके ग्राम माकडों के ख. न. 346 रकबा 0.83 है. की खातेदारी सुमन देवी प्रार्थीया के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा खसरा नम्बर 348 रकबा 0.48 है व खसरा नम्बर 349 रकबा 0.39 है. की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 के नाम दर्ज रिकार्ड है। यह है कि खसरा नम्बर 346 रकबा .83 है. में पहुंचने हेतु खसरा नम्बर 348, 349 के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। नजरी नक्श में दर्शारूा गया बिन्दे ए से बी की दूरी 76 मीटर है जो वादिया द्वारा चाही गई है। खसरा नम्बर 346 में पहुंचने का निकटतम मार्ग है। बिन्दे संख्या ए से बी में भूमि खसरा नम्बर 348 में से 76x4 = 304 वर्ग मीटर तथा खसरा नम्बर 349 में से 76x4 = 304 वर्ग मीटर कुल क्षेत्रफल 608 वर्ग मीटर रास्तें के रूप में जाना है। अतः श्रीमान जी की सेवामें रिपोर्ट पेश है।

बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। न्यायालय का [illegible] प्रकार है। (1) वाके ग्राम माकडों तहसील बुहाना स्थित भूमि खसरा नम्बर 346 भूमि [illegible] काबिज कास्त है।(2). आवेदकगण की भूमि ख0 न0 346 के लिए [illegible] खसरा नम्बर 346 में पहुंचने का निकटतम मार्ग है। बिन्दु संख्या ए से बी भूमि खसरा नम्बर 348 में से 76x4 = 304 वर्ग मीटर तथा खसरा नम्बर 349 में से 76x4 = 304 वर्ग मीटर कुल क्षेत्रफल 608 वर्ग मीटर रास्तें गै.मु. रास्ता तक दिये जाने प्रस्तवित है तथा यह रास्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:24:31 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

आवेदन पत्र पत्र संख्या 474/2021
सुमन बनाम पुरूषोत्तम आदि
निर्णय दिनांक :– 10/10/22

निकटतम रास्ता है। **(3)** **तहसीलदार** बुहाना ने भी अपने रिपोर्ट में रास्ता दिए जाने योग्य बताया है। रास्ते हेतु मौका रिर्पोट दिनांक 28.07.2022 मय नजरी नक्शा पेश किया है। **(4).** न्यायालय प्रार्थना पत्र में चाहे गये रास्ते को मात्र जोत के सुविधाजनक उपभोग (Not mere convenient enjoyment of holding) के लिये नहीं है बल्कि आत्यांतिक आवश्यकता (Absolute Necessity) का मामला पाता है। यह भी कि आवेदकगण ने अपने खेत/मकान में आने जाने एवं फसल उपज को लाने ले जाने के लिये वैकल्पिक साधन/रास्ता की अनुपलब्धता (Absence of alternative means of access) को भी साबित किया है। **(5).**क्षति पुर्ति के बिन्दुओं पर सुना गया। पक्षकारान में सहमति नहीं बनी। अतः नियमानुसार निर्धारित दर के निर्धारित गुणा के अनुसार प्रतिकार का भुगतान किया जाना उचित है। क्षतिपूर्ती हेतु तहसीलदार बुहाना ग्राम माकडों की अधिकतम डी.एल.सी के अनुसार क्षतिपूर्ती तय किए जाने योग्य है। **(6).** रास्ते का रकबा राजस्व रिकॉर्ड में अमल की दृष्टि से राउण्ड फिगर अर्थात हैक्टेयर के दो डेसिमल तक ही रखा जा रहा है। रास्ते की चौड़ाई रास्ते में दिए गए रकबे में लम्बाई के आनुपातिक तय की जावे। न्यायालय आवेदकगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य पाता है। क्षति पुर्ति के बिन्दुओं पर सुना गया। पक्षकारान में सहमति नहीं बनी। अतः नियमानुसार निर्धारित दर के निर्धारित गुणा के अनुसार प्रतिकार का भुगतान किया जाना उचित है।

–::आदेश::–

न्यायालय प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम माकडों स्थित भूमि भूमि ख0 न0 346 के लिए अनावेदकगण के खेत खसरा नम्बर खसरा नम्बर 348 में से 76x4 = 304 वर्ग मीटर तथा खसरा नम्बर 349 में से 76x4 = 304 वर्ग मीटर कुल क्षेत्रफल 608 वर्ग मीटर रास्तें गै.मु. रास्ता के लिए दिये जाने के आदेश दिये जाते है। नक्शा ट्रेस प्रदर्श –''अ'' के अनुसार दिए जाने के आदेश दिये जाते हैं। रास्ते की भूमि की किस्म राजस्व रिकॉर्ड में ''गैर मुमकिन रास्ता'' के रूप मे दर्ज कर खाता संख्या 1 में दर्ज जावे। तहसीलदार बुहाना को आदेशित किया जाता है कि प्रतिकार की राशि की गणना नियमानुसार ग्राम माकडों की अधिकतम डी.एल.सी से निर्धारित दर से गणना दो गुणा राशि नियमानुसार राजकोष में जमा होने पर संम्बन्धित खातेदार/अप्रार्थीगण को भुगतान किया जावे। तहसीलदार बुहाना रिकॉर्ड में अमल व तरमीम करे। रास्ता के सीमा चिन्ह कायम कायम किए जावे। तहसीलदार बुहाना का नक्शा ट्रेस प्रदर्श –''अ'' निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। रहन यदि कोई हो तो रास्ता में जाने वाला रकबा रहन से मुक्त माना जावे।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:24:31 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 10/10/22 ---------- को मेरे द्वारा लिखाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)